UPMZ010057262026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मुजफफरनगर

उपस्थित : बीरेन्द्र कुमार सिंह, एच.जे.एस.

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 2257 सन 2026

1. अली हसनैन पुत्र गुलाम अली
2. मौ. जावेद
3. मौ. जाफर उर्फ फरजदक
4. अब्बास उर्फ नईम अब्बास

पुत्रगण अली हसनैन
निवासीगण ग्राम भटौडा थाना सिखेडा,
जनपद मुजफफरनगर

—आवेदकगण/अभियुक्तगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

—विपक्षी

अपराध संख्या—51 सन 2026
धारा —125, 351 (3), 352, 115 (2)
333 भारतीय न्याय संहिता
थाना—सिखेड़ा
जनपद— मुजफ्फरनगर

20.06.2026

प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से थाना सिखेडा के अपराध संख्या—51 सन 2026 धारा—125, 351 (3), 352, 115 (2) 333 भारतीय न्याय संहिता के मामले में इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि, आवेदकगण/अभियुक्तगण ने कोई अपराध कारित नहीं किया है बल्कि उसे इस मामले में रंजिश के कारण झूठा फँसाया गया है।

यह भी कहा गया है कि मामले की प्राथमिकी विलंब से दर्ज करायी गयी है जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है तथा प्राथमिकी में कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं दिया गया है। यह भी कहा गया है कि दिखायी गयी धाराओं में सात वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है।

इसी प्रकार यह भी कहा गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण अली हसनैन द्वारा वादी मुकदमा के भाई शाफिउल हसन व अन्य के विरूद्व सिविल जज, जूनियर डिविजन, मुजफफरनगर में सिविल वाद संख्या 202 सन 2026 अली

Digitally signed by BIRENDRA KUMAR SINGH
Date: 2026.06.20 17:39:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

हसनैन बनाम शाफिउल हसन जैदी दिनांक 28.04.2026 को उक्त मुकदमा दर्ज होने से पहले से ही दायर कर रखा है। जब शाफिउल हसन जैदी को इस बात का पता चलात ो उसने अपने भाई नजमुल हसन से साज करके व थाना सिखेडा की पुलिस से साज करके अभियुक्तगण के विरूद्व यह झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से वादी मुकदमा की आपत्ति शपथ पत्र के पैरा संख्या 6 का उल्लेख करते हुए कहा गया है आवेदकगण/अभियुक्तगण ने स्वयं स्वीकार किया है कि अभियुक्तगण के विरूद्व पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य मौजूद नहीं हैं।

अंत में कहा गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण सम्मानित परिवार के हैं तथा उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इस प्रकार अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी। समर्थन में शपथ पत्र, वाद संख्या 202 सन 2026 अली हसनैन बनाम शाफिउल हसन जैदी आदि की प्रति दाखिल की गयी है।

2. अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक एवं वादी मुकदमा की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत का पुरजोर विरोध किया गया तथा कहा गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्व गंभीर प्रकृति का आरोप है। इस प्रकार अपराध को गंभीर प्रकृति का बताते हुए अग्रिम जमानत निरस्त करने की मांग की गयी। वादी मुकदमा की ओर से अपना शपथ पत्र/आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि वादी मुकदमा के भाई शफीउल हसन ने अभियुक्तगण के भाई मजहर हसनैन से उसके हिस्से के मकान का बैनामा दिनांक 23.04.2026 को कराया था। इसी प्रकार शपथ पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफस के हवाले से कहा गया है कि अभियुक्तगण अपने घर की छत से पथराव करते दिखाई दे रहे हैं।

3. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा तलबीदा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

4. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के संदर्भ में निम्न तथ्य विचारणीय हैं :–

1. अभियोग की प्रकृति एवं गंभीरता,

2. प्रथम सूचना रिपोर्ट की परिस्थिति,

3. अभियुक्त का पूर्ववृत्त, जिसमें यह तथ्य भी सम्मिलित है कि, क्या वह किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पर पहले ही कारावास भुगत चुका है।

4. न्याय से भागने की संभाव्यता, और

5. जहां अभियुक्त को उसे इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुँचाने या अपमानित के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया हो।

6. सामाजिक स्थिति/जांच में सहयोग की प्रवृत्ति।

5. प्राथमिकी के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादी मुकदमा नजमुल हसन द्वारा घटना दिनांकित 29.04.2025 समय 10.30 बजे के संबंध में दिनांक 07.05.2026 को समय 13:50 बजे थाना सिखेडा पर प्राथमिकी इस आशय की लिखायी गयी कि वादी का एक प्लॉट अपे गांव में है। दिनांक 29.04.2026 को समय करीब साढे दस बजे सुबह वादी अपनी दोनों बेटियों असमत व आतिश के साथ अपने प्लॉट पर गया था। वहां पर अली हसनैन, मौहम्मद जावेद, मौहम्मद जाफर उर्फ फरजदक, अब्बास मौजूद किले और उन्हें देखकर गालियां देने लगे। मना करने पर उनके उपर ईट व पत्थर फेक कर मारने लगे जिसमें से एक पत्थर वादी के सीने में लगा व बेटियों को भी लगा। किसी तरह से उन्होंने भागकर अपनी जान बचायी और अपने घर पर आ गये। पीछे पीछे उपरोक्त चारों लोग लाठी व डंडे लेकर उसके घर में घुस आये और मारपीट की। जाते समय जान से मारने की धमकी देकर भाग गये। वादी थाना सिखेडा पहुंचा और पुलिस द्वारा उसका मैडिकल कराया गया।

6. अभियोजन कथानक अनुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्व पहले छत से पथराव करने व उसके बाद वादी मुकदमा के घर में घुसकर लाठी डंडों से मारपीट कर वादी मुकदमा नजमुल को चोटें पहुंचाने का आरोप बताया गया है।

तलबीदा पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि चुटैल नजमुल को चार चोटें आना अंकित किया गया है जिसमें चोट संख्या 1 को जेरे निगरानी रखा गया था तथा शेष चोटों को साधारण प्रकृति की बताया गया है। जेरे निगरानी रखी गयी चोट संख्या 1 के संदर्भ में तैयार पूरक आख्या को विवेचक द्वारा केस डायरी का भाग बनाया गया है जिसे साधारण प्रकार की बताया गया है।

आरोपित धाराएं सात वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हैं। विवेचनोपरांत मामले में आरोप पत्र सक्षम न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। अभियोजन की ओर से आवेदकगण/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं बताया गया है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये जाने का पर्याप्त व युक्ति–युक्त आधार मौजूद है। तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदकगण/अभियुक्तगण **अली हसनैन पुत्र गुलाम अली, मौहम्मद जावेद, मौहम्मद जाफर उर्फ फरजदक, अब्बास उर्फ नईम अब्बास पुत्रगण अली हसनैन** को अंतर्गत अपराध संख्या–51 सन 2026 धारा–125, 351 (3), 352, 115 (2) 333 भारतीय न्याय संहिता, थाना सिखेडा, जनपद मुजफ्फरनगर के मामले में उसके द्वारा अंकन 50,000/– 50,000/– पचास हजार– पचास हजार रूपये के दो दो विश्वसनीय प्रतिभू एवं समान धनराशि का व्यक्तिगत बन्ध पत्र संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के आधार पर प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तो के अंतर्गत अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है :–

1. यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायालय द्वारा तलब किये जाने व नियत की गयी तिथियों पर उपस्थित होंगे तथा विचारण में सहयोग करेंगे।

2. यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्ररेणा, धमकी या वचन नहीं देंगे, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके।

3. यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

4. यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण बंध पत्र की शर्तो का कठोर पालन करेंगे।

(क) ऐसे व्यक्ति इस आशय के अधीन निष्पादित बंध पत्र की शर्तो के अनुसार हाजिर होंगे।

(ख) ऐसे व्यक्ति उस अपराध जैसा, जिसको करने का उन पर अभियोग या सन्देह है, कोई अपराध नहीं करेंगे।

(ग) ऐसे व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरण नहीं करेंगे, धमकी या वचन नहीं देंगे या साक्ष्य को नहीं बिगाडेंगे।

5. आवेदकगण/अभियुक्तगण बंध पत्र दाखिल करेंगे–''अभियुक्तगण विचारण के पूर्ण होंनें के छह माह के अन्दर यदि उच्चतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किसी अपील या याचिका में न्यायालय द्वारा नोटिस जारी होता है, तो न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे।''

6. आवेदकगण/अभियुक्तगण विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेंगे।

7. आवेदकगण/अभियुक्तगण इस आशय का एक बंध पत्र दाखिल करेंगे कि, वे विचारण/साक्ष्य के दौरान जब भी कोई साक्षी हाजिर होगा, स्थगन नहीं लेंगे। इस शर्त की अवहेलना होने पर संबंधित न्यायालय को यह अधिकार होगा कि, संबंधित न्यायालय अभियुक्त द्वारा जमानत की स्वतंत्रता के दुरूपयोग के कारण उसके विरूद्व विधिसम्मत आदेश पारित करे।

(बीरेन्द्र कुमार सिंह)

दिनांकः **20**.06.2026

सत्र न्यायाधीश,
मुजफ्फरनगर